न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 15/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/192

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरपंच ग्राम पंचायत हाडेतर		सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1955

तारीख रजु :– 12.09.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकर नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 30.09.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मय अधिवक्ता ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया जिसे बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हाडेतर के खसरा संख्या 956 रकबा 0.12 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाड़ा जो पुराने खसरा संख्या 293 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी से सृजित है जो ग्राम पंचायत हाडेतर के खाते में दर्ज है। उक्त खसरा संख्या 956 रकबा 0.12 हैक्टेयर मौके पर ग्राम की आबादी के रहवास के उपयोग व उपभोग में आ रही है जो प्रथम सेटलमेंट यानि संवत् 2009 में उक्त आराजी पुराने खसरा संख्या 293 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है जिसकी प्रथम मिसल बंदोबस्त में उक्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन आबादी सही दर्ज है एवं ग्राम पंचायत हाड़ेतर के खाते में दर्ज है, परन्तु द्वितीय सेटलमेंट में उक्त भूमि भूलंवश हल्का अमीन ने पुराने खसरा संख्या 293 में से नवीन खसरा संख्या 956 रकबा 0.12 हैक्टेयर सृजित कर भूलवंश गैर मुमकिन बाड़ा दर्ज कर ग्राम पंचायत हाडेतर के खाते में दर्ज कर दी गई जो मानवीय भूल है जो काबिल दुरूस्त है। अतः दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि मौजा हाडेतर के खसरा संख्या 956 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि की किस्म गैर मुमकिन बाड़ा की बजाय गैर मुमकिन आबादी दर्ज की जाकर रेकर्ड दुरूस्ती की जाने का आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हाडेतर के खसरा संख्या 956 रकबा 0.12 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाड़ा पुराने खसरा संख्या 293 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा किस्म गैर मकबुजा आबादी से सृजित हुआ है। मिसल बंदोबस्त प्रथम भू–प्रबंध के खाता संख्या 109 व मिसल बंदोबस्त द्वितीय भू–प्रबंध के खाता संख्या 57 में इन्द्राज है। राजस्व रेकर्ड नये व पुराने का अवलोकन एवं मिलान से स्पष्ट है कि भू–प्रबंध बंदोबस्त द्वितीय के दौरान खसरा संख्या 956 रकबा 0.12 हैक्टेयर जो पुराने खसरा संख्या 293 रकबा 01 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.10.17 11:50:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

02 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन मकबुजा आबादी से सृजित हुआ है, की किस्म गैर मुमकिन बाड़ा दर्ज हुई है तथा मौका जांच अनुसार मौके पर आबादी बसी हुई है। गुणावगुण के आधार पर रिकॉर्ड दुरूस्ती की जाती है तो राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा संख्या 956 रकबा 0.12 हैक्टेयर मौके पर ग्राम की आबादी बसी हुई है जो प्रथम सेटलमेंट यानि संवत् 2009 में उक्त आराजी पुराने खसरा संख्या 293 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है जिसकी प्रथम मिसल बंदोबस्त में गैर मुमकिन आबादी सही दर्ज थी परन्तु द्वितीय सेटलमेंट में उक्त भूमि भूलवश पुराने खसरा संख्या 293 में से नवीन खसरा संख्या 956 रकबा 0.12 हैक्टेयर सृजित कर गैर मुमकिन बाड़ा दर्ज कर ग्राम पंचायत हाडेतर के खाते में दर्ज कर दी गई जो मानवीय भूल है अतः निवेदन है कि उक्त खसरा संख्या 956 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि की किस्म गैर मुमकिन बाड़ा की बजाय गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थी राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा संख्या 956 रकबा 0.12 हैक्टेयर जो पुराने खसरा संख्या 293 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा गैर मकबुजा आबादी से सृजित हुआ है जिसकी रेकर्ड दुरूस्ती की जाती है तो राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होगा।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौजा हाडेतर की जमाबंदी संवत् 2074–2077, प्रथम मिसल बंदोबस्त, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 2066–2069 इत्यादि का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं जवाब राज पैरोकार के आधार पर मौजा हाड़ेतर के खसरा संख्या 956 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन बाड़ा की बजाय गैर मुमकिन आबादी दर्ज करने की रेकर्ड दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा हाडेतर के खसरा संख्या 956 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन बाड़ा की जगह गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्ती की जावें। उपरोक्तानुसार तहसीलदार, सांचौर के नाम पृथक से तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.10.17 11:50:39 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को सार–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner